

उत्तरांचल शासन  
विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग  
संख्या 166/ विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग/2002  
दिनांक : देहरादून , मई 20, 2002

### अधिसूचना

उत्तरांचल के राज्यपाल की यह राय है कि उत्तरांचल राज्य की विधान सभा में सग्लो-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

अतः उत्तरांचल के श्री राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत उनको प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर, प्रधानाचार्य, सेंट थोमस कालेज, 2-ग्राम रोड देहरादून को उत्तरांचल विधान सभा में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से

§ आर० पी० पान्डेय §  
सचिव

2 संख्या 166/ विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा/2002/तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित :--
1. सचिव श्री राज्यपाल ।
  2. निजी सचिव, मा० विधान सभा अध्यक्ष ।
  3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री ।
  4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
  5. सचिव, विधान सभा उत्तरांचल ।
  6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित 100 प्रतियाँ प्रकाशनार्थ एवं शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।
  7. कार्यालय पंजी ।

आज्ञा से,

16/5/2002

§ आर० पी० पान्डेय §  
सचिव।